राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0
"किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांकः विप0–3/(दु0आ0विनि0)/2022– 215 दिनांक 06.6.2022

1. समस्त उपनिदेशक (प्रशा0/विप0)
मण्डी परिषद, उ0प्र0।

2. समस्त सभापति/सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ,
उत्तर प्रदेश।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 के मा0 संचालक मण्डल की 162वीं बैठक दिनांक 28.12.2021 के मद संख्या–14 में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर मा0 संचालक मण्डल द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है:–

मद संख्या	प्रस्ताव	कार्रवाई/निर्णय
14	उत्तर प्रदेश की मण्डी समितियों के मण्डी स्थलों/सुपर मार्केट/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0)/ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) में निर्मित दुकानों/गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के आवंटन विनियमावली–2016 (अद्यतन संशोधित) में संशोधन विषयक प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 की धारा–26–भ में निम्न प्राविधान है:–

<u>धारा–26 भ, विनियम–(1)</u> परिषद, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से परिषद के कार्यकलापों के प्रशासन के लिए ऐसे विनियम बना सकती है जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों से असंगत न हों।

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात–

(क) परिषद की बैठके बुलाना और करना, समय और स्थान जहाँ पर ऐसी बैठके की जाएं। ऐसी बैठकों में कार्य संचालन और बैठकों की गणपूर्ति के लिए व्यक्तियों की आवश्यक संख्या।

(ख) परिषद के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की शक्ति और कर्तव्य;

(ग) परिषद के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों और धारा–23 की उपधारा (2) में अभिदिष्ट अधिकारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्ते,

(घ) परिषद की सम्पत्ति का प्रबन्ध;

(ड़) परिषद की ओर से संविदा और सम्पत्ति सम्बन्धी हस्तान्तरण पत्रों का निष्पादन,

(च) परिषद द्वारा लेखो का रखना और पक्का चिट्ठा तैयार किया जाना;

(छ) इस अधिनियम के अधीन परिषद के कृत्यों का निर्वाहन करने की प्रक्रिया;

...2

(ज) कोई अन्य विषय जिसके लिए विनियमों में व्यवस्था की हो या की जा सके।

(3) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन परिषद द्वारा कोई विनियम न बनाया जाए, कोई विनियम जो इस प्रकार उसके द्वारा बनाया जा सकता हो राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकता है, और इस प्रकार बनाये गये किन्ही विनियमों में परिषद उप धारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके परिवर्तन कर सकती है उन्हे विखंडित कर सकती है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा–26 भ के विनियम–2(घ) की उपरोक्त प्राविधानित व्यवस्था से स्पष्ट है कि परिषद की सम्पत्ति के प्रबन्ध के लिए बनायी गयी विनियमावली के प्रख्यापन हेतु राज्य सरकार का अनुमोदन आवश्यक है। वर्ष 2016 मे निर्मित "मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल/ सुपर मार्केट/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0)/ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र) में निर्मित दुकानों/गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के "आवंटन विनियमावली–2016" एवं समय–समय पर की गयी संशोधित व्यवस्था का अनुमोदन राज्य सरकार से प्राप्त नही हो सका है।

अतएव मा0 संचालक मण्डल की 162वीं बैठक दिनांक 28.12.2021 में मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल/सुपर मार्केट/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0)/ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र) में निर्मित दुकानों/गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के "आवंटन विनियमावली–2016(यथा संशोधित) में संशोधन का प्रस्ताव मद संख्या–14 पर मा0 संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय एवं मा0 संचालक मण्डल द्वारा पूर्व पारित आवंटन विनियमावली–2016 (यथा संशोधित) सहित शासन को परिषद पत्र संख्या–703 दिनांक 24.01.2022 द्वारा प्रेषित करते हुए अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया था। विवरण निम्नवत् हैः–

1.	मा0 संचालक मण्डल की 150 वीं बैठक दिनांक 03.06.2016 में लिये गये निर्णय के क्रम में परिषद पत्र संख्या–विपणन–3/दु0आ0नियमा0/2016–2775 दिनांक 29.07.2016 द्वारा निर्गत मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल/सुपर मार्केट/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0)/ ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र) में निर्मित दुकानों/गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के "आवंटन विनियमावली–2016 (मूल विनियमावली)
2.	मा0 संचालक मण्डल की 154 वीं बैठक दिनांक 18.01.2018 में लिये गये निर्णय के क्रम में परिषद पत्र संख्या–विप0–3/दु0आ0नियमा0/2018–1071 दिनांक 22.03.2018 द्वारा विनियम–3(10), विनियम–5(05), विनियम–9(2) एवं (3), विनियम–11(1) में संशोधन।
3.	मा0 संचालक मण्डल की 155 वीं बैठक दिनांक 24.07.2018 में लिये गये निर्णय के क्रम में परिषद पत्र संख्या–विप0–3/दु0आ0नियमा0/2018–464 दिनांक 27.08.2018 द्वारा विनियम–12(1) में संशोधन।
4.	मा0 संचालक मण्डल की 155 वीं बैठक दिनांक 24.07.2018 में लिये गये निर्णय के क्रम में परिषद पत्र संख्या–विप0–3/दु0आ0नियमा0–297/2019–934 दिनांक 14.02.2019 द्वारा विनियम–11 में आवंटन की अन्य आपवादिक व्यवस्थाओं में उप विनियम–11 (5) बढाया गया।

5.	मा0 संचालक मण्डल की 158 वीं बैठक दिनांक 13.06.2020 में लिये गये निर्णय के क्रम में परिषद पत्र संख्या–विप0–3/दु0आ0नियमा0/2020–184 दिनांक 24.06.2020 द्वारा विनियम–5(1), विनियम–5(2) एवं विनियम–5(5) में संशोधन।
6.	मा0 संचालक मण्डल की 159 वीं बैठक दिनांक 12.02.2021 में लिये गये निर्णय के क्रम में परिषद पत्र संख्या–विप0–3/दु0आ0नियमा0/2021–876 दिनांक 18.02.2021 द्वारा विनियम–3(21), विनियम–4(ब), विनियम–4(ध), विनियम–5(1), विनियम–5(2), विनियम–5(5), विनियम–11(1), विनियम–11(3) एवं विनियम–12(3) में संशोधन एवं विनियम–12 (4) के पश्चात उप विनियम–12(5) बढाया गया।

उपरोक्त क्रम में शासन के पत्र संख्या–141/80–1–2022–600(1)/2021 दिनांक 30.05.2022 द्वारा "मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल/सुपर मार्केट/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0)/ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र में निर्मित दुकानों/गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के "आवंटन विनियमावली–2016" एवं उक्त नियमावली में समय–समय पर पूर्व में मा0 संचालक मण्डल द्वारा पारित निर्णय के क्रम में किये गये संशोधनों तथा मा0 संचालक मण्डल की 162 वीं बैठक दिनांक 28.12.2021 के मद संख्या–14 में आवंटन विनियमावली–2016 (यथा संशोधित)" में संशोधन सहित शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

अतएव शासन के अनुमोदन दिनांक 30.05.2022 के क्रम में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 के मा0 संचालक मण्डल की 162वीं बैठक दिनांक 28.12.2021 के मद संख्या–14 में मा0 संचालक मण्डल द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में उत्तर प्रदेश की मण्डी समितियों के मण्डी स्थलों/उप मण्डी स्थलों/सुपर मार्केट/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0)/ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) में निर्मित दुकानों/गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के आवंटन विनियमावली–2016 (अद्यतन संशोधित) में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:–

1. विनियम–3 परिभाषायें में संशोधन–उक्त विनियमावली के उप विनियम–1 से 24 के पश्चात निम्नलिखित उप विनियम–25 बढाया जाता है। विनियम–3(25) में विधिक उत्तराधिकारी का तात्पर्य वरीयता क्रम में निम्नवत् होगा:–

<u>विनियम–3 (25) विधिक उत्तराधिकारी</u>

(1) पत्नी या पति,

(2) पुत्र/दत्तक पुत्र, अविवाहित पुत्रियॉं, अविवाहित दत्तक पुत्रियॉं, विधवा पुत्रियॉं, तलाकशुदा पुत्रियॉं, विवाहित पुत्रियॉं और विधवा पुत्र वधुऍं।

(3) माता और पिता।

2– विनियम–4 नीलामी में भाग लेने के लिए पात्रता में संशोधन– उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विनियम–4(ब) ,4(ध) एवं 4 (ड) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये विनियम रख दिये जायेंगे :–

वर्तमान विनियम–4(ब)	प्रस्तावित विनियम–4(ब)
आवेदक मण्डी समिति का लाईसेंसी अथवा अधिसूचित एवं गैर निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के विपणन कार्य हेतु पंजीकृत व्यापारी हो।	आवेदक मण्डी समिति का लाईसेंसी या अधिसूचित एवं गैर निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के विपणन कार्य हेतु मण्डी समिति का पंजीकृत व्यापारी हो अथवा इच्छुक व्यक्ति।

...4

वर्तमान विनियम–4(ध)	प्रस्तावित विनियम–4(ध)
मण्डी स्थल की विभिन्न श्रेणी की दुकानों के आवंटन हेतु श्रेणीवार पात्रता का निर्धारण विगत तीन वर्ष में लाईसेंसधारी व्यापारियों द्वारा जमा किये गये मण्डी शुल्क अथवा लाइसेंसी/गैर लाइसेंसी पंजीकृत व्यापारियों द्वारा गैर निर्दिष्ट कृषि उत्पादों पर लिए जाने वाले प्रयोक्ता प्रभार(यूजर चार्ज) के औसत अथवा टर्न ओवर की मात्रा के आधार पर निम्नवत् होगी:–	मण्डी के लाईसेंसी व्यापारी के अतिरिक्त मण्डी के अन्दर प्रयोक्ता प्रभार(यूजर चार्ज) वाले पंजीकृत व्यापारी एवं इच्छुक व्यक्ति दुकान आवंटन की नीलामी में प्रतिभाग कर सकते हैं। दुकान आवंटन के पश्चात ऐसे व्यक्तियों को मण्डी परिसर में कारोबार करने हेतु अधिसूचित कृषि उत्पादों का व्यापार करने एवं मण्डी का लाईसेंस 01 माह के अन्दर लेने तथा आगामी तीन वित्तीय वर्षो में निम्न तालिका में वर्णित मण्डी शुल्क/प्रयोक्ता प्रभार (यूजर चार्ज) की पूर्ति किये जाने की अनिवार्यता होगी। अन्यथा की दशा में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा:–

वर्तमान विनियम–4(ध)

गल्ला मण्डी			फल मण्डी		
1	रू0 80 हजार से अधिक औसत मण्डी शुल्क अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 60 लाख से अधिक हो।	'अ' श्रेणी	1	रू0 40 हजार से अधिक औसत मण्डी शुल्क अथवा यूजर चार्ज जिसका टर्न ओवर रू0 20 लाख से अधिक हो।	'अ' श्रेणी

प्रस्तावित विनियम–4(ध)

गल्ला मण्डी			फल मण्डी		
1	रू0 40 हजार से अधिक औसत मण्डी शुल्क वार्षिक हो। अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 30 लाख से अधिक हो।	अ' श्रेणी	1	रू0 20 हजार से अधिक औसत मण्डी शुल्क अथवा यूजर चार्ज वार्षिक हो। अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 10 लाख से अधिक हो।	'अ' श्रेणी

2	रू0 40 हजार से 80 हजार औसत मण्डी शुल्क अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 60 लाख से कम एवं 25 लाख से ऊपर हो।	'ब' श्रेणी	2.	रू0 20 हजार से अधिक परन्तु 40 हजार से कम औसत मण्डी शुल्क अथवा यूजर चार्ज जिसका टर्न ओवर रू0 20 लाख से कम एवं 10 लाख से अधिक हो।	'ब' श्रेणी	2	*रू0 20 हजार से 40 हजार औसत मण्डी शुल्क* अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 30 लाख से कम एवं रू0 12.5 लाख से अधिक हो।	'ब' श्रेणी	*2.*	रू0 10 हजार से अधिक परन्तु 20 हजार से कम औसत मण्डी शुल्क अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 10 लाख से कम एवं रू0 5 लाख से अधिक हो।	'ब' श्रेणी
3	रू0 40 हजार औसत मण्डी शुल्क से कम अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 25 लाख से कम हो।	'स' श्रेणी	3	रू0 20 हजार औसत मण्डी शुल्क या यूजर चार्ज से कम अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 10 लाख से कम हो।	'स' श्रेणी	3	रू0 20 हजार औसत मण्डी शुल्क से कम किन्तु 10 हजार से अधिक हो अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 12.5 लाख से कम हो, किन्तु रू0 5 लाख से अधिक हो।	'स' श्रेणी	*3*	रू0 10 हजार औसत मण्डी शुल्क या यूजर चार्ज से कम किन्तु 5 हजार से अधिक हो अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 5 लाख से कम किन्तु रू0 2.5 लाख से अधिक हो।	'स' श्रेणी

परन्तु– (क) यदि किसी लाईसेन्सी द्वारा 3 वर्ष से कम अवधि में कार्य किया गया है तो उसके द्वारा जमा किये गये मण्डी शुल्क/प्रयोक्ता प्रभार (यूजर चार्ज) को पात्रता निर्धारण हेतु तीन से विभाजित करके औसत की गणना की जाएगी। (ख) गैर निर्दिष्ट कृषि उत्पाद का कार्य करने वाले पंजीकृत व्यापारियों के लिए यह गणना तीन वर्ष यथा–वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 के लिए निर्धारित कार्यावधि के अनुसार औसत निकालते हुए की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2022–23 के उपरान्त यह गणना तीन वर्ष के औसत के आधार पर की जायेगी। ऐसे पंजीकृत व्यापारियों को आवंटन के पश्चात् मण्डी का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।	परन्तु– (क) यथावत्। (ख) यथावत्।
	(ग) प्रस्तर 'क' व 'ख' की पात्रता पूर्ण करने वाले लाईसेन्सी व्यापारियों के लिए 50 प्रतिशत दुकानें आरक्षित रहेंगी। विनियम–11(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अतिरिक्त शेष दुकानों का आवंटन खुली नीलामी के माध्यम से किया जायेगा।
वर्तमान विनियम–4(ड)	**प्रस्तावित विनियम–4(ड)**
"अ" एवं "ब" श्रेणी की दुकानों के आवंटन हेतु तैयार की गयी पात्र आवेदकों की सूची में पर्याप्त आवेदक उपलब्ध न होने की स्थिति में "स" श्रेणी के पात्र आवेदकों को भी इस आवंटन प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा। "स" श्रेणी की दुकानों के आवंटन में "अ" एवं "ब" श्रेणी की दुकानों के लिए पात्र आवेदक भी प्रतिभाग कर सकेंगे।	यदि किसी श्रेणी की दुकान के आवंटन के लिए 03 आवेदन से कम प्राप्त होते हैं तो उस श्रेणी से एक श्रेणी उच्चतर अथवा एक श्रेणी निम्नतर के पात्र आवेदकों द्वारा भी दुकानों के आवंटन में प्रतिभाग किया जा सकेगा। प्रतिबन्ध यह है कि "ब" श्रेणी की किसी दुकान हेतु 03 आवेदन प्राप्त न होने की दशा में "स" श्रेणी के पात्र आवेदकों को पहले आमंत्रित किया जायेगा।

3– विनियम–9. नीलामी की प्रक्रिया एवं आवंटन में संशोधन– उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विनियम–9(10) एवं विनियम–9(11) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा:–

वर्तमान विनियम–9(10)	**प्रस्तावित विनियम–9(10)**
नीलामी की कार्यवाही में प्राप्त की गयी उच्चतम बोली को पीठासीन अधिकारी अपने विवेकानुसार स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकेंगे। पीठासीन अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा। स्वीकृत बोलीदाता के द्वारा स्वीकृत धनराशि की 50	नीलामी की कार्यवाही में प्राप्त की गयी उच्चतम बोली को पीठासीन अधिकारी अपने विवेकानुसार स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकेंगे। पीठासीन अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा। उच्चतम बोलीदाता के द्वारा स्वीकृत धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान

प्रतिशत धनराशि का भुगतान आवंटन पत्र निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर न किये जाने पर उसके द्वारा जमा की गयी पंजीकृत धनराशि को जब्त करते हुए पीठासीन अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त मण्डी समिति द्वारा द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को आवंटन किया जा सकेगा।	आर0टी0जी0एस0, बैंक ड्राफ्ट अथवा नकद निम्नवत् जमा करना होगाः– (A) 25 प्रतिशत धनराशि नीलामी बोली अन्तिम होने के तुरन्त अथवा अगले कार्य दिवस में जमा करनी होगी। (B) शेष 25 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर जमा करना होगा। अन्यथा स्थिति में उसके द्वारा जमा की गयी 10 प्रतिशत पंजीकरण की धनराशि सहित समस्त धनराशि को जब्त करते हुए पीठासीन अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त मण्डी समिति द्वारा द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को आवंटन किया जा सकेगा।
वर्तमान विनियम–9(11)	**प्रस्तावित विनियम–9(11)**
आवंटन पत्र निर्गत होने से 15 दिवस के अन्दर आवंटी को उसके द्वारा लगायी गयी बोली की 50 प्रतिशत धनराशि (पंजीकरण राशि सहित) जमा करने तथा अनुबंध करने के उपरान्त दुकान का कब्जा दे दिया जायेगा। तत्पश्चात आवंटन पत्र जारी होने के अधिकतम तीन माह के अन्दर अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी। अधिकतम बोली बोलने वाले किसी भी आवंटी द्वारा एक सप्ताह के अन्दर नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करने की स्थिति में नीलामी धनराशि में 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। आवंटी द्वारा नियत अवधि में अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि जमा न करने की स्थिति में 01 प्रतिशत मासिक ब्याज के साथ धनराशि जमा करते हुए 06 माह के अतिरिक्त समय दिये जाने की व्यवस्था होगी। इस अवधि में भी सम्पूर्ण धनराशि जमा न करने की स्थिति में जमा समस्त धनराशि जब्त करते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।	आवंटन पत्र निर्गत होने से 15 दिवस के अन्दर आवंटी को उसके द्वारा लगायी गयी बोली की 50 प्रतिशत (पंजीकरण राशि सहित) धनराशि विनियम–9(10) के अनुसार जमा करने तथा अनुबंध करने के उपरान्त दुकान का कब्जा दे दिया जायेगा। तत्पश्चात आवंटन पत्र जारी होने के अधिकतम तीन माह के अन्दर अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी। अधिकतम बोली बोलने वाले किसी भी आवंटी द्वारा एक सप्ताह के अन्दर नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करने की स्थिति में नीलामी धनराशि में 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। आवंटी द्वारा नियत अवधि में अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि जमा न करने की स्थिति में 1 प्रतिशत मासिक ब्याज के साथ धनराशि जमा करते हुए 06 माह का अतिरिक्त समय दिये जाने की व्यवस्था होगी। इस अवधि में भी सम्पूर्ण धनराशि जमा न करने की स्थिति में 1.50 प्रतिशत मासिक ब्याज के धनराशि जमा करते हुए 06 माह का और अतिरिक्त समय दिये जाने की व्यवस्था होगी। तत्पश्चात भी धनराशि जमा न होने की स्थिति में जमा समस्त धनराशि जब्त करते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

4–विनियम–10. सामान्य शर्तें में संशोधन–उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विनियम–10(6) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगाः–

वर्तमान विनियम–10(6)	प्रस्तावित विनियम–10(6)
आवंटित दुकानों/गोदामों के आवंटी को सम्पत्ति का बॅटवारा करने, किराये पर दिये	आवंटित दुकानों/गोदामों के आवंटी को सम्पत्ति का बॅटवारा करने, किराये पर दिये जाने विक्रय अथवा

जाने विक्रय अथवा हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं होगा। परन्तु स्वामित्व वाले लाइसेंसी आवंटी की मृत्यु हो जाने अथवा अन्य कारणों से अपने कानूनी वारिसों को कारोबार सौंपने की स्थिति में तद्नुसार उसके विधिक उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों का नाम मण्डी समिति के लाइसेंस में दर्ज कर दिया जायेगा, जिस/जिन पर समस्त नियम एवं शर्ते बाध्यकारी होंगी।	हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं होगा। परन्तु स्वामित्व वाले लाइसेंसी आवंटी की मृत्यु हो जाने अथवा अन्य कारणों से अपने ***विधिक उत्तराधिकारी*** को कारोबार सौंपने की स्थिति में तद्नुसार उसके विधिक उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों का नाम मण्डी समिति के लाइसेंस में अनिवार्य रूप से दर्ज कर दिया जायेगा, जिस/जिन पर समस्त नियम एवं शर्ते बाध्यकारी होंगी।
आवंटित सम्पत्ति में फर्म, कम्पनी तथा पंजीकृत संस्था के संबंध में नाम बढ़ाने के लिये प्रत्येक नये साझीदार से आरक्षित न्यूनतम प्रीमियम धनराशि का 5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) अन्तरण शुल्क लिया जायेगा, परन्तु प्रत्येक दशा में मूल आवंटी अथवा उसका विधिक उत्तराधिकारी फर्म का भागीदार अवश्य रहेगा। अन्यथा स्थिति में इसे आवंटन शर्तो का उल्लंघन मानते हुए मण्डी समिति द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।	आवंटित सम्पत्ति में फर्म, कम्पनी तथा पंजीकृत संस्था के संबंध में नाम बढ़ाने के लिये प्रत्येक नये साझीदार से आरक्षित न्यूनतम प्रीमियम धनराशि का 5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) अन्तरण शुल्क लिया जायेगा, परन्तु प्रत्येक दशा में मूल आवंटी अथवा उसका विधिक उत्तराधिकारी फर्म का भागीदार अवश्य रहेगा। अन्यथा स्थिति में इसे आवंटन शर्तो का उल्लंघन मानते हुए मण्डी समिति द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
परन्तु ए0एम0एच0/रिन/सुपर मार्केट की दुकानों के हस्तान्तरण के संबंध में प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि हस्तान्तरण प्रस्तावित किया जाता है तो हस्तान्तरण मण्डी समिति के प्रस्ताव पर मण्डी निदेशक की अनुमति से ही किया जायेगा। अनुमति दिये जाने हेतु लाभांश का 25 प्रतिशत मण्डी समिति को विक्रेता द्वारा देय होगा। लाभांश की धनराशि वास्तविक घोषित मूल्य अथवा वाणिज्यिक सर्किल रेट जो अधिक हो, में से मूल प्रीमियम की अन्तर की धनराशि होगी।	परन्तु ए0एम0एच0/रिन/सुपर मार्केट की दुकानों के हस्तान्तरण के संबंध में प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि हस्तान्तरण प्रस्तावित किया जाता है तो हस्तान्तरण मण्डी समिति के प्रस्ताव पर मण्डी निदेशक की अनुमति से ही किया जायेगा। अनुमति दिये जाने हेतु लाभांश का 25 प्रतिशत मण्डी समिति को विक्रेता द्वारा देय होगा। लाभांश की धनराशि वास्तविक घोषित मूल्य अथवा वाणिज्यिक सर्किल रेट जो अधिक हो, में से मूल प्रीमियम की अन्तर की धनराशि होगी। आवंटी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके विधिक उत्तराधिकारी के नाम दुकान मण्डी समिति द्वारा नामान्तरित करते हुए अभिलेखों में दर्ज किया जा सकेगा।
आवंटी, आवंटित सम्पत्ति का प्रयोग समिति द्वारा अनुमन्य शर्तो एवं स्वीकृत मानचित्र के अनुसार करेगा अन्यथा समिति को सम्पत्ति वापस लेने तथा अन्य उचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा। समिति द्वारा सम्पत्ति वापस लेने की दशा में उस पर किये गये अन्य व्यय आदि	आवंटी, आवंटित सम्पत्ति का प्रयोग समिति द्वारा अनुमन्य शर्तो एवं स्वीकृत मानचित्र के अनुसार करेगा तथा मूलस्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकेगा। अन्यथा समिति को सम्पत्ति वापस लेने तथा अन्य उचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा। समिति द्वारा सम्पत्ति वापस लेने की दशा में उस पर किये गये अन्य

का मुआवजा मण्डी समिति आवंटी को देने के लिए बाध्य न होगी।	व्यय आदि का मुआवजा मण्डी समिति आवंटी को देने के लिए बाध्य न होगी।

5– विनियम–13. कैन्टीन की नीलामी में संशोधन– उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विनियम–13(1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगाः–

वर्तमान विनियम–13(1)	प्रस्तावित विनियम–13(1)
नवीन मण्डी स्थल में निर्मित कैण्टीन/ खान–पान विक्रय केन्द्र अथवा कैण्टीन/ खान–पान विक्रय केन्द्र के लिये चिन्हित स्थानो का आवंटन खुली नीलामी द्वारा उच्चतम बोली/दर के आधार पर मण्डी समिति द्वारा किया जायेगा तथा नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली/दर की धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि कैण्टीन संचालन प्रारम्भ किये जाने से पूर्व तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि 06 समान किश्तो में अगामी 06 माह मे समिति कोष में जमा की जायेगी। इसकी आवंटन की अवधि 11 माह होगी। "क" एवं "क" विशिष्ट श्रेणी की मण्डियों में कैण्टीन आवंटन के आवेदक को रू0 1.00 लाख की बैंक गारण्टी अथवा सचिव, मण्डी समिति के पक्ष में बन्धक एफ0डी0आर0 प्रतिभूति के रूप में नीलामी से पूर्व समिति कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी। "ब" श्रेणी की मण्डियों में रू0 50,000.00 की बैंक गारण्टी अथवा सचिव, मण्डी समिति के पक्ष में बन्धक एफ0डी0आर0 एवं "स"श्रेणी की मण्डियों के लिए रु0 25,000.00 की बैंक गारण्टी अथवा सचिव, मण्डी समिति के पक्ष में बन्धक एफ0डी0आर0 प्रस्तुत करनी होगी।	नवीन मण्डी स्थल में निर्मित कैण्टीन/ खान–पान विक्रय केन्द्र अथवा कैण्टीन/ खान–पान विक्रय केन्द्र के लिये चिन्हित स्थानों का आवंटन खुली नीलामी द्वारा प्रथम वर्ष में जमा की जाने वाली धनराशि उच्चतम बोली/दर के आधार पर मण्डी समिति द्वारा किया जायेगा। इसकी आवंटन की अवधि 03 वर्ष (तीन वर्ष) होगी। आवंटन पत्र प्राप्त होते ही धनराशि त्रैमासिक किश्तों में अग्रिम रूप से जमा करनी होगी। दो त्रैमासिक किश्तें बकाया होने की दशा में आवेदक को नोटिस निर्गत की जायेगी। यदि नोटिस निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर किस्त जमा नहीं होती है तो आवंटन बैंक गारन्टी जब्त कर निरस्त कर दिया जायेगा। "क" एवं "क" विशिष्ट श्रेणी की मण्डियों में कैण्टीन आवंटन के आवेदक को रू0 50,000.00 (रू0 पचास हजार मात्र) की बैंक गारण्टी अथवा सचिव, मण्डी समिति के पक्ष में बन्धक एफ0डी0आर0 प्रतिभूति के रूप में नीलामी से पूर्व समिति कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी। "ब" श्रेणी की मण्डियों में रू0 25,000.00 (रू0 पच्चीस हजार मात्र) की बैंक गारण्टी अथवा सचिव, मण्डी समिति के पक्ष में बन्धक एफ0डी0आर0 एवं "स"श्रेणी की मण्डियों के लिए रु0 12,500.00 (रू0 बारह हजार पॉच सौ मात्र) की बैंक गारण्टी अथवा सचिव, मण्डी समिति के पक्ष में बन्धक एफ0डी0आर0 प्रस्तुत करनी होगी। प्रतिबन्ध यह होगा कि दूसरे एवं तीसरे वर्ष के प्रारम्भ में नीलामी की धनराशि में 10–10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

अतएव मा0 संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयानुपालन में उत्तर प्रदेश की मण्डी समितियों के "मण्डी स्थलों/उपमण्डी स्थलों/सुपर मार्केट/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0)/ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) में निर्मित दुकानों/गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के आवंटन विनियमावली–2016 (अद्यतन संशोधित)" में उपरोक्तानुसार विनियम/उपविनियमों के अनुसार निर्मित गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करें, शेष विनियम एवं व्यवस्थाएं पूर्ववत् रहेंगी।

(अंजनी कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशेष सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1 उ0प्र0 शासन को शासन के पत्र संख्या–141/80–1–2022–600(1)/2021 दिनांक 30.05.2022 के कम में।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद, उ0प्र0।
4. मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
5. समस्त उप निदेशक (निर्माण/वि0यां0), मण्डी परिषद, उ0प्र0।
6. विधि अधिकारी, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
7. सिस्टम एनालिस्ट, मण्डी परिषद, मुख्यालय को मण्डी परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(निधि श्रीवास्तव)
अपर निदेशक (प्रशासन)

अतएव मा0 संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयानुपालन में उत्तर प्रदेश की मण्डी समितियों के मण्डी स्थलों/उपमण्डी स्थलों/सुपर मार्केट/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0)/ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) में निर्मित दुकानों/गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के आवंटन विनियमावली–2016 (अद्यतन संशोधित)'' में उपरोक्तानुसार विनियम/उपविनियमों के अनुसार निर्मित गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करें, शेष विनियम एवं व्यवस्थाएं पूर्ववत् रहेंगी।

(अंजनी कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशेष सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1 उ0प्र0 शासन को शासन के पत्र संख्या–141/80–1–2022–600(1)/2021 दिनांक 30.05.2022 के क्रम में।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद, उ0प्र0।
4. मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
5. समस्त उप निदेशक (निर्माण/वि0यां0), मण्डी परिषद, उ0प्र0।
6. विधि अधिकारी, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
7. सिस्टम एनालिस्ट, मण्डी परिषद, मुख्यालय को मण्डी परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(निधि श्रीवास्तव)
अपर निदेशक (प्रशासन)